चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/1692
दिनांक :- 17.7.2023

सेवा में,

01. सचिव/प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

02. समस्त विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष/समन्वयक,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर,
मेरठ।

विषयः—मणिपुर राज्य में मची उथल—पथल के दृष्टिगत सरकार द्वारा कर्फ्यू लगाये जाने एवं इण्टरनेट सेवाऐं बाधित किये जाने के दृष्टिगत विश्वविद्यालयों/संस्थानों में मणिपुर राज्य के अध्ययनरत छात्र—छात्राओं को फीस, हॉस्टल फीस व अन्य शुल्क आदि जमा करने हेतु समयवृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राज्यपाल सचिवालय, उत्तरप्रदेश लखनऊ के संलग्न पत्र दिनांक 27.06.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मणिपुर राज्य में मची उथल—पथल के दृष्टिगत सरकार द्वारा कर्फ्यू लगाये जाने एवं इण्टरनेट सेवाऐं बाधित किये जाने के दृष्टिगत विश्वविद्यालयों/संस्थानों में मणिपुर राज्य के अध्ययनरत छात्र—छात्राओं को फीस, हॉस्टल फीस व अन्य शुल्क आदि जमा करने हेतु समयवृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में आदेश प्रदान किये गये है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आपको सूचित किया जाता है कि मणिपुर राज्य के छात्र/छात्राओं की फीस एवं हास्टल फीस व अन्य शुल्क आदि जमा करने हेतु आवश्यक समयावधि प्रदान की जाए तथा छात्र/छात्राओं की शिक्षण व्यवस्था एवं उनके रोजमर्रा की खाने—पीने की वस्तुओं व अन्य आवश्कताओं की व्यवस्था हेतु मदद भी करने का कष्ट करें।

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः—

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदया के संज्ञानार्थ।
02. सचिव कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
03. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
04. प्रभारी वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कार्यालय अधीक्षक (सम्बद्धता)

28-6-23
20/6/23
27/6/23

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश,

लखनऊ–226027

संख्याः ई– 3836 / 32–जी0एस0 / 2023–XVIII
दिनॉकः 27 ,जून–2023

प्रेषक,

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

O.S (AIII) तत्काल कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करें।

Registrar
Ch Charan Singh University
Meerut

सेवा में,

कुलपति / निदेशक,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय / संस्थान,
उत्तर प्रदेश।

विषयः– **मणिपुर राज्य में मची उथल–पुथल के दृष्टिगत सरकार द्वारा कर्फ्यू लगाये जाने एवं इण्टरनेट सेवाऐं वाधित किये जाने के दृष्टिगत विश्वविद्यालयों / संस्थानों में मणिपुर राज्य के अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को फीस, हॉस्टल फीस व अन्य शुल्क आदि जमा करने हेतु समयवृद्धि प्रदान किये जाने विषयक।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राज्यपाल, मणिपुर के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्याःGSM/LO-1/2005(Pt.III) दिनॉक 08 जून–2023 द्वारा राज्य में जातीय संघर्ष फैलने के बाद से उथल–पुथल मचे होने का संदर्भ देते हुये राज्य में कई मूल्यवान मानव जीवन के नष्ट हो जाने की स्थिति से अवगत कराते हुये राज्य में दोनों समुदायों के कई घरों और सम्पत्तियों को आग लगाये जाने विषयक जानकारी दी गयी है। एहतियात के तौर पर सरकार द्वारा घाटी के सभी जिलों के साथ–साथ मणिपुर के कुछ प्रभावित पहाडी जिलों में कर्फ्यू लगाये जाने तथा राज्य में इण्टरनेट सेवायें वाधित किये जाने की स्थिति से अवगत कराया गया है।

2– उपर्युक्त कारणों से उत्तर प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों व उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों में मणिपुर राज्य के अध्ययनरत छात्र–छात्राऐं अपने अभिभावकों व सगे सम्बन्धियों से दूरसंचार माध्यमों से सम्पर्क नहीं कर पा रहे है। अभिभावकों से सम्पर्क नहीं हो पाने के कारण छात्र–छात्रायें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के साथ–साथ पढ़ाई से सम्बन्धित आवश्यक खर्चो के लिये भी विभिन्न प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं।

3– अपने राज्य के छात्रों के कल्याण के बारे में गम्भीर चिन्ता जाहिर करते हुये मान्नीय राज्यपाल, मणिपुर द्वारा अनुरोध किया गया है कि अप्रत्याशित परिस्थितियों के दृष्टिगत इस कठिन समय में ऐसी कार्यवाही की जाये जिससे उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत मणिपुर राज्य के छात्र– छात्राओं की शैक्षणिक गतिविधियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इस मामले पर बहुमूल्य सहयोग प्रदान कर कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

4– इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है **मणिपुर राज्य में वर्तमान स्थितियों के सामान्य होने तक** आपके विश्वविद्यालयों / संस्थानों तथा उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में मणिपुर राज्य के अध्ययनरत छात्र / छात्राओं की निर्धारित फीस एवं हॉस्टल फीस व अन्य शुल्क आदि जमा करने हेतु उन्हें आवश्यक समयवृद्धि प्रदान की जाये तथा इस अवधि में मणिपुर राज्य के छात्र–छात्राओं की शिक्षण व्यवस्था व उनके रोजमर्रा की खाने–पीने की वस्तुओं व अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था हेतु मदद भी करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 पंकज एल0 जानी)
कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी

Registrar
For n.a.
27/6/23
VICE-CHANCELLOR